रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 1998/आश्विन 15, 1920
No. 383] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 1998/ASVINA 15, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1998

सा.का. नि. 603(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिशिष्ठ

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) तृतीय संशोधन विनियम, 1998

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—ये विनियम कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) तृतीय संशोधन विनियम, 1988 कहलायेगा तथा यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. वर्तमान विनियम में निम्नलिखित प्रावधान संख्या 3(11) को शामिल किया जाएगा :—

"यौन उत्पीड़न संबंधी दुर्व्यवहार से प्रत्येक कर्मचारी को बचना होगा जिसमें अनचाहा यौन दुर्व्यवहार (प्रकट या सांकेतिक) शामिल है, यथा :—

(क) शारीरिक संबंध या पहल
(ख) यौनाचार की माँग या आग्रह
(ग) यौन दुराचारिक संकेत
(घ) अश्लील साहित्य का प्रदर्शन

यौनाचार स्वभाव का अन्य कोई अनचाहा शारीरिक, मौखिक या अमौखिक व्यवहार।

यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार के व्यवहार के लिए दोषी पाया जाता है जहाँ पीड़िता वास्तव में अपने रोजगार या कार्य संबंधी करणों से भयभीत हो, जहाँ वह वैतनिक या अवैतनिक या स्वैच्छिक सेवा दे रही हो, ऐसा व्यवहार अपमानजनक हो सकता है तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्या पैदा करती है, दंडणीय होगा।

स्पष्टीकरण :—यौन उत्पीड़न की उपरोक्ता परिभाषा सर्वसमावेशी नहीं है। सभी जगहों पर कार्यरत महिलाओं को यौन उत्पीड़न उपरोक्त वर्णित व्यवहार/घटनाओं के अतिरिक्त व्यवहार/घटनाएं भी इस खंड की सीमा के अंतर्गत आएगा"।

[फा. सं. पी. आर-12016/29/98 पी ई-1]
के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—प्रिंसीपल विनियम, 1987 का प्रकाशन भारत के राजपत्र (असाधरण) में जी. एस. आर. सं. 608 (ई) दिनांक 29 जून, 1987 के अंतर्गत हुआ तथा तदुपरांत संशोधन (1) जी. एस. आर. 124(ई), दिनांक 24 फरवरी, 1989 एवं (2) जी. एस. आर. 572, दिनांक 13 जून, 1990 के अंतर्गत हुआ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Ports Wing)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1998

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Ports Trust Employees (Conduct) Amendment regulations, 1998 Regulations 199 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees' (Conduct) 3rd Amendment Regulations, 1998

(1) **Short Title and Commencement.**—These regulations shall be called the Calcutta Port Trust Employees' (Conduct) 3rd Amendment Regulations, 1998 and shall come into effect from the date of publication in the Official Gazette.

(2) The following provision numbered 3(11) shall be inserted in the existing regulations :—

"Every employee shall desist from behaviour which amounts to sexual harassment which includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as :—

(a) physical contract and advances;

(b) a demand for request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing pronography;

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

Any employee found guilty of committing such an act under circumstances wherein the victim of such conduct has reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work, whether she is drawing salary or honorarium or giving voluntary service, such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem, shall be punishable.

Explanation.—The aforesaid definition of sexual harassment is not exhaustive. The acts/incidents, other than the acts/incidents specified above, being sexual harassment of working women in all work places, may also come within the purview of this clause."

[F. No. PR-12016/29/98-P.E.I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note :— Principal regulations, 1987 was published in the Gazette of India (Extraordinary) vide G.S.R. No. 608 (E) dated 29th June, 1987 and was subsequently amended vide Notifications No. G.S.R. 124(E) dated 24th February, 1989 and G.S.R. 572 dated 13th June, 1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- 1998